न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/184
मुकदमा नम्बर 46/2025 दर्ज दिनांक– 16.04.2025

प्रभात राम पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
2. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री प्रदीप कुमार झाझडिया,श्री श्रवण सिंह
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 20.05.2025**

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में आराजी खसरा नं. 963 रकबा 0.05 है0,खसरा 964 रकबा 0.98 है0, खसरा नं. 965 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 966 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 967 रकबा 1.83 है0, खसरा नं. 969 रकबा 0.69 है0, खसरा नं. 970 रकबा 0.85 है0 में आवेदक का नाम प्रभूराम के स्थान पर प्रभात राम दर्ज कर दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/7826 दिनांक 16.05.2025 पेश की गई।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगोर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रा. पत्र के अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में आराजी खसरा नं. 963 रकबा 0.05 है0,खसरा 964 रकबा 0.98 है0, खसरा नं. 965 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 966 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 967 रकबा 1.83 है0, खसरा नं. 969 रकबा 0.69 है0, खसरा नं. 970 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

85 है0 में आवेदक का नाम प्रभूराम के स्थान पर प्रभात राम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, 'खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू